

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 1047/22/वि-12/GM (M-II)/2020

भोपाल, दि. - 20/01/2020

प्रति,

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई-गुना-1 एवं 2, अशोकनगर-1 एवं 2,

भिण्ड-1 एवं 2, शिवपुरी-1 एवं 2, खरगौन-1 एवं 2 (म.प्र.)

विषय- म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सम्पादित की जा रही जल प्रदाय एवं मल-जल योजना की पाईप लाईन म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की सड़कों के किनारे अथवा नीचे से बिछाये जाने हेतु लंबित अनापत्ति प्रकरणों के संबंध में।

सन्दर्भ-दिनांक 13.01.2020 को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में आयोजित बैठक के संबंध में

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सम्पादित की जा रही जल प्रदाय एवं मल-जल योजना की पाईप लाईन म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की सड़कों के किनारे अथवा नीचे से बिछाये जाने हेतु लंबित अनापत्ति प्रकरणों के संबंध में दिनांक 13.01.2020 को संचालनालय नगरीय प्रशासन में बैठक आयोजित की गई थी जिसमें निर्णय हुआ है कि-

1. MPLUDCL के संविदाकर CC Road Cutting का कार्य Road Cutting Machine से किया जावेगा जिससे CC Road क्षतिग्रस्त न हो।
2. MPLUDCL के संविदाकर Road Cutting के उपरान्त पाइप डालकर त्वरित Restoration करेगा ताकि आवगमन बाधित न हो।
3. MPLUDCL के संविदाकर रोड के समान्तर डाली जाने वाली पाइप लाइन का Restoration अधिकतम एक माह में पूर्ण करेगा।

बैठक में निर्णय अनुसार नगरीय प्रशासन द्वारा अपने संविदाकारों को त्वरित Restoration कार्य कराने संबंधी निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में मार्ग दर्शी दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं जो संलग्न हैं। योजना जनहितकारी होने के फलस्वरूप कृपया निदेशों का पालन करते हुए शीघ्र अनुमति संबंधी कार्यवाही करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(पी. के. निगम)

प्रमुख अभियंता

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क, विकास प्राधिकरण

भोपाल (म.प्र.)

क्र 1048/22/वि-12/GM (M-II)/2020

भोपाल, दि. -20/01/2020